

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/250
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00243
CICOM/R/2017/00826

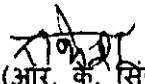
दिनांक: 18.08.2017

अपीलकर्ता : सुश्री प्रियंका,
क्वार्टर नं. 365/ए,
नार्दन कालोनी, चोपन,
पो0 आ0 चोपन - 231205,
जिला - सोनभद्र, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 18.08.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.06.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.07.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	11.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156497/16.08.2017

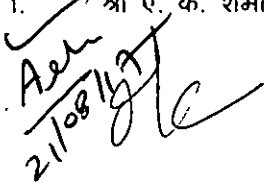
- अपीलकर्ता ने Dy. General Manager (G) & Central Public Information Officer, General Manager Officer (NER), Gorakhpur (U.P.) को संबोधित अपने दिनांक 27.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन की प्रतिलिपि आयोग को भेजी थी, जिसका प्रतिउत्तर श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 19.07.2017 को दिया गया था । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि Dy. G.M. (G), NER, Gorakhpur से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।
- संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना का ठीक से अवलोकन नहीं किया है । श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि "यदि किसी लोक प्राधिकरण द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए", परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त कार्यालय में प्रथम अपील दाखिल नहीं किया है । अतः अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं बताई गई प्रक्रिया का अनुपालन करें ।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।


21/08/17

